**संख्या:33/2318जेएल/22-3-14-400(18)/2012**

**प्रेषक,**

**आर0के0 द्विवेदी,**
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

**सेवा में,**

**महानिरीक्षक,**
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3*** ***लखनऊ: दिनांक: 30 सितम्बर, 2014***

**विषय:** जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध विचाराधीन बंदी साबिर उर्फ चोखे पुत्र कल्लन खॉ को जेल अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुपालन में पीड़ित बंदी को अंतरिम राहत का भुगतान किया जाना।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक अपर महानिरीक्षक(प्र0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-24531/मा0अनु0(6)/2-एजीआर/25/2012, दिनांक 29-08-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध विचाराधीन बंदी साबिर उर्फ चोखे पुत्र कल्लन खॉ को जेल अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रताड़ित किये जाने के फलस्वरूप मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के पत्र/केस संख्या-8736/24/40/2012, दिनांक 15-07-2014 में की गयी संस्तुति के अनुपालन में पीड़ित बंदी को रू0-25,000/- (रू0 पचीस हजार मात्र) अंतरिम राहत के भुगतान की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष-2014-15 में इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि भुगतान की जानी वाली अंतरिम राहत के समतुल्य धनराशि की वसूली दोषी पायें गये अधिकारियों/कर्मचारियों से कराकर राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

**2-** उक्त के निमित्त होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक-"2056-जेलें-आयोजनेत्तर-101-जेल-03-समस्त कारागार के मानक मद्-42-अन्य व्यय (मतदेय)" के नामें डाला जायेगा तथा उपलब्ध प्राविधान से वहन किया जायेगा।

**3-** प्रश्नगत धनराशि का भुगतान मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 15-07-2014 में विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

**4-** कृपया यह सुनिश्चित करे कि वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासन के संगत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा जहां आवश्यक हो वहॉ सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

**---2**

http://shasanadesh.up.nic.in

**5-** कृपया उपरोक्त के अनुसार पीडित बंदी को अंतरिम राहत का भुगतान तत्काल कराते हुए, भुगतान की पुष्टिकृत सूचना मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली/शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**6-** यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ए-2-145/दस-2014, दिनांक 23-06-2014 में प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अनुक्रम में गृह (मानवाधिकार) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-1399/छः-मा0-1-14-21(विविध)/13, दिनांक 26-06-2014 में दिये गये निर्देशों के अनुसार जारी किए जा रहें है।

**भवदीय,**

**(आर0के0 द्विवेदी)**
**उप सचिव।**

**<u>संख्या:33/2318जेएल(1)/22-3-14-उक्तदिनांक।</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सहायक निबन्धक (लॉ), मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, ब्लाक-सी, जी0पी0ओ0 काम्पलेक्स, नई दिल्ली-110002
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. जिला मजिस्ट्रेट, झांसी (उ0प्र0)।
4. मुख्य कोषाधिकारी, झांसी।
5. वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, झांसी।
6. कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4
7. उप सचिव, गृह (मानवाधिकार) अनुभाग-1 को उनके पत्रांक-529जी0/छः-मा0-1-14-2(30)/2013, दिनांक 20-08-2014 के संदर्भ में।
8. गार्ड फाईल।

**आज्ञा से,**

**(आर0के0 द्विवेदी)**
**उप सचिव।**

http://shasanadesh.up.nic.in